आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 134/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मुथूट हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड पता 1 डी–10, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशापुरा एनक्लेव, चित्रकूट, प्रताप स्टेडियम के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सोहन सांवरमल ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री सांवरमल
2. श्री सांवरमल मूलचन्द
3. श्रीमती प्रेम सांवर भट्ट

पता :– 17, बागडो का मोहल्ला, किशनपुरा, शिव मन्दिर के पास, जयपुर।
एवं प्लाट नम्बर 8–1, ग्रीन सिटी–IV, नींदड, बेनाड रोड, सरना डूंगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री चंचलदीप, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक **27.03.2018** को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री सोहन पुत्र सांवरमल** के स्वामित्व की संपत्ति **प्लॉट नं. 8–ए, ग्रीन सिटी IV, नींदड, बेनाड रोड, सरना डूंगर, जयपुर क्षेत्रफल 64 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **9,24,214/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **30.05.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप सें कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **09,24,214/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि [illegible]/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु प्रार्थी ने दिनांक [illegible] को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है। [illegible] द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और [illegible] द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था प्रत्याभूत रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में प्रत्याभूत रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के प्रावधान में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

2. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी [illegible] के स्वामित्व की प्रत्याभूत सम्पत्ति [illegible] का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिकृत [illegible] पुलिस बल प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

3. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त [illegible] / पुलिस अधीक्षक [illegible] को भेजकर निर्देश जारी की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति [illegible] जाती है। [illegible]

4. प्रकरण आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(प्रकाश [illegible])

जिला मजिस्ट्रेट

[illegible]